रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका संख्या 4935/2006

घनश्याम शर्मा अन्य अन्य। ..अपीलकर्ता(गण)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

और

सिविल याचिका संख्या 4936/2006

सुरेश कुमार शर्मा ... अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

साथ में

सिविल अपील संख्या 4937/2006 और 4938/2006

निर्णय

आर. वी. रवींद्रन, न्यायाधिपति

सिविल अपील संख्या, 4935/2006 और 4936/2006.

1. इन अपीलों में निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों, जिन्हें राजस्थान सचिवालय मंत्री सेवा नियम, 1970 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 5 के परंतुक (5क) के अधीन 25.4.1992 को नियमित आशुलिपिक के रूप में लियुक्त किया गया था, द्वारा 1978-1979 तक पूर्वव्यापी नियुक्ति और उनके और सीधे भर्ती किए गए आशुलिपिकों के बीच परिणामी वरिष्ठता विवाद से सम्बंधित दावा है। सीए नंबर 4936/2006 में अपीलार्थी विशेष पदोन्नत हैं। सीए संख्या 4936/2006 में अपीलकर्ता सीधी भर्ती वाले हैं।

2. भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित नियमों के नियम 5 में यह प्रावधान किया गया है कि नियमों के प्रारंभ के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगीः-

> "(ए) नियमों के भाग IV के अनुसार अनुसूची I के कॉलम नंबर 3 में निर्धारित सीधी भर्ती;
>
> (बी) नियमों के भाग V के अनुसार अनुसूची I के कॉलम नंबर 3 में निर्धारित पदोन्नति।"

आशुलिपिक के पद से संबंधित अनुसूची । में प्रविष्टि (3) है। उक्त प्रविष्टि के तीसरे कॉलम में प्रतिशत के साथ भर्ती के स्रोतों को निम्नानुसार दिखाया गया हैः

> "नियम 5 के परंतुक (5) के अनुसार 50% सीधी भर्ती से और 50% राजस्थान सचिवालय के निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों से।"

नियम 5 का परंतुक (5) (अनुसूची । की प्रविष्टि (3) में निर्दिष्ट) निम्नानुसार हैः -

> "भर्ती की एक विशेष अवधि में आशुलिपिकों की 50% रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती सचिवालय के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों में से चयन द्वारा की जाएगी, जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धता के अधीन इन नियमों में आशुलिपिकों के लिए निर्धारित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
>
> उनके चयन को, इन नियमों के भाग V में किसी बात के होते हुए भी, उनके चयन की तारीख से प्रभावी पदोन्नति माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में, ऐसे उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्तियों को भी भाग IV में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से भरा जाएगा"

3. नियम 5 में संशोधन के माध्यम से परंतुक (5क) को दिनांक 15.3.1978 की अधिसूचना द्वारा नियमों में प्रस्तुत किया गया था और इसे निम्नानुसार पढ़ा गया है:

"(5क) कि इन नियमों की कोई बात नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक के पदों पर उन व्यक्तियों में से रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए पर्याप्त नियुक्ति करने से नहीं रोकेगी जो 5.5.1970 या 15.9.1972 को राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या अस्थायी क्षमता में आशुलिपिक या आशुलिपिक का पद धारण कर रहे थे और जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक पाया गया है और जिनके पास ऐसी तिथि पर निम्नलिखित में से कोई भी योग्यता और अनुभव था -

(ए) भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में आशुलिपि के साथ स्नातक या आशुलिपि में डिप्लोमा धारक; या

(बी) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा या एक विषय के रूप में आशुलिपि के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और विराम, यदि कोई हो, को छोड़कर आशुलिपिक या स्टेनो टाइपिस्ट के रूप में दो साल की सेवा में रहा हो; या

(सी) वे आशुलिपिक या स्टेनो टाइपिस्ट जिन्होंने 15.9.1972 को राजस्थान सचिवालय में दो साल की सेवा दी है, विराम को छोड़कर, यदि कोई हो और जिन्हें नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा संतोषजनक रूप से काम करने के लिए प्रमाणित किया गया है और जिन्होंने अनुसूची II के भाग II में वर्णित अंग्रेजी और हिंदी टाइपराइटिंग टेस्ट पास करने के अलावा अंग्रेजी शॉर्टहैंड या हिंदी शॉर्टहैंड में प्रतियोगी परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। x x x"

दिनांक 19.6.1978 के सरकारी आदेश द्वारा मौजूदा निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक, जो विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर आशुलिपिक के स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहे थे या काम करने की आवश्यकता थी, को प्रति माह Rs.30 के विशेष वेतन की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि उनके पास अंग्रेजी या हिंदी में निम्नलिखित योग्यताओं में से एक होः

"(i) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की उच्च माध्यमिक परीक्षा या डिग्री में आशुलिपि को एक विषय के रूप में उत्तीर्ण करना।

(ii) एचसीएम राज्य लोक प्रशासन संस्थान या भाषा विभाग द्वारा आयोजित आशुलिपि में परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आशुलिपि में डिप्लोमा।

(iv) संगठन और विधि विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण का समापन और संगठन और विधि विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा, यदि कोई हो, को भी उत्तीर्ण करना।"

विशेष वेतन का अनुदान आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन थाः-

(i) नियुक्ति प्राधिकरण विशेष वेतन को मंजूरी देने वाले आदेश में प्रमाणित करता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा से नियमित रूप से भर्ती किए जाने वाले आशुलिपिक उपलब्ध नहीं हैं।

(ii) जब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा से भर्ती किए गए आशुलिपिक को विभाग में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक निम्न श्रेणी लिपिक को विशेष वेतन दिया जाएगा।"

4. परंतुक (5ए) में कट ऑफ़ डेट को स्थगित करते हुए कई बार संशोधन किया गया था। 23.5.1979 को यथासंशोधित उक्त परंतुक इस प्रकार हैः

"(5क) कि इन नियमों की कोई बात नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, आशुलिपिक या आशुलिपिक के पद तदर्थ तदर्थ्यात्र नियुक्ति करने से, उन व्यक्तियों में से रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, जो 31.7.1977 को या उससे पहले राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या तदर्थ क्षमता में आशुलिपिक का पद धारण कर रहे थे और जिनका कार्य

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक पाया गया है और जिन्होंने ऐसी तिथियों तदर्थ निम्नलिखित में से किसी भी योग्यता को पूरा किया है।x x x "

परन्तुक (5क) को 23.1.1985 को पुनः संशोधित किया गया और यथा संशोधित परन्तुक इस प्रकार पढ़ा गयाः

"(5क) कि इन नियमों की कोई बात नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, आशुलिपिक या आशुलिपिक के पद तदर्थ तदर्थ्यास नियुक्ति करने से, उन व्यक्तियों में से रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, जो 23.5.1979 को या उससे पहले राजस्थान सचिवालय में अस्थाई या तदर्थ क्षमता में आशुलिपिक का पद धारण कर रहे थे और जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक पाया गया है और जिन्होंने ऐसी तिथि को निम्नलिखित में से किसी भी योग्यता को पूरा किया है।x x x "

इसके पश्चात् 18.9.1987 को उपबंध (5क) का संशोधन किया गया था और यह संशोधन 23.1.1985 से प्रभावी समझा गया था।संशोधित परंतुक (5क) निम्नानुसार हैः

"(5क) कि इन नियमों की कोई बात, यथा स्थिति, आशुलिपिक या आशुलिपिक के पद पर सारवान नियुक्ति करने से नियुक्ति प्राधिकारी को नहीं रोकेगी, जैसा भी

मामला हो, उन व्यक्तियों में से रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन जो 23.5.1979 को या उससे पहले राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या तदर्थ क्षमता में आशुलिपिक का पद धारण कर रहे थे और 23.1.1985 को लगातार पद धारण कर रहे थे और जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक पाया गया है और जिन्होंने ऐसी तिथि तदर्थ निम्नलिखित में से किसी भी योग्यता को पूरा किया है।x x x "

5. सचिवालय सेवा में आशुलिपिकों की कमी के कारण, एलडीसी/यूडीसी के रूप में कार्यरत विशेष पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों को 17.3.1978 और 5.5.1979 के बीच विभिन्न तिथियों में तदर्थ आधार पर तदर्थ आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें 19.6.1978 से प्रति माह Rs.30 का विशेष वेतन दिया गया था। 29.2.1980 को, राजस्थान लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'RPSC') ने आशुलिपिक के 86 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। एक परीक्षा आयोजित करने के बाद, आरपीएससी ने सीधी भर्ती के माध्यम से कई आशुलिपिकों की नियुक्ति की। विशेष पदोन्नत, जो उस समय तदर्थ आशुलिपिक के रूप में काम कर रहे थे, ने उक्त विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया और परीक्षा में भाग लिया, लेकिन सफल नहीं हुए और उनका चयन नहीं किया गया। जैसे ही और जब सीधे भर्ती किए गए आशुलिपिकों को पोस्टिंग दी गई, तदर्थ आशुलिपिक के रूप में काम

करने वाले विशेष पदोन्नतियों को 1981 और 1982 के वर्षों में आशुलिपिकों के पद से एलडीसी/यूडीसी के रूप में उनके मूल पदों पर वापस कर दिया गया।

6. जब 23.1.1985 को परंतुक (5क) में संशोधन किया गया था, जिसमें यह उपबंध किया गया था कि वे व्यक्ति जो 23.5.1979 को या उससे पहले राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या तदर्थ क्षमता में आशुलिपिक का पद धारण कर रहे थे उन्हें मूल आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, विशेष पदोन्नतियों (जिन्हें 1981-82 में एलडीसी/यूडीसी के रूप में वापस कर दिया गया था) को उम्मीद थी कि उन्हें आशुलिपिक के रूप में मूल नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, क्योंकि वे आवश्यकताओं के प्रावधान (5 ए) को पूरा करते हैं। परन्तु जब 18.9.1987 को परन्तुक (5क) में और संशोधन किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि केवल वे जो 23.5.1979 को या उससे पूर्व आशुलिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे और जो 23.1.1985 को इस पद पर बने रहे, वे परन्तुक (5क) के अधीन विचार के पात्र थे, तो उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक आधार पर आशुलिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का उनका "अधिकार" छीन लिया गया है, क्योंकि वे 23.1.1985 तक तदर्थ आशुलिपिक के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे, यद्यपि वे 23.5.1979 को तदर्थ आधार पर आशुलिपिक का पद धारण कर रहे थे। इसलिए कुछ विशेष पदोंनतो ने राजस्थान उच्च न्यायालय को आग्रह किया और नियमों

के नियम 5 के परन्तुक (5क) में दिनांक 18.9.1987 के संशोधन को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 2116/1989 दायर की। उक्त रिट याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 7.8.1991 को स्वीकार किया, जिसमें परन्तुक (5क) में दिनांक 18.9.1987 के संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 23.1.1985 को संशोधित नियमों के अनुसार आशुलिपिक के रूप में मूल नियुक्ति के लिए एलडीसी/यूडीसी के रूप में काम कर रहे रिट याचिकाकर्ताओं (पदोन्नत) पर विचार करे और यदि विचार करने पर वे उपयुक्त पाए जाएँ तो उनको परिणामी लाभों के साथ आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया जाये।

7. दिनांक 7.8.1991 के उक्त आदेश के अनुसरण में, राज्य सरकार ने दिनांक 25.4.1992 के आदेश द्वारा 27 एलडीसी/यूडीसी (जो 23.5.1979 को ₹.30 प्रति माह के विशेष वेतन पर स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में काम कर रहे थे) को 23.1.1985 की अधिसूचना द्वारा संशोधित नियम 5 के परंतुक (5ए) के तहत स्टेनो-टाइपिस्ट के पद पर इस टिप्पणी के साथ नियुक्त किया कि उनकी वरिष्ठता और अन्य लाभों के संबंध में अलग आदेश जारी किए जाएंगे। दिनांक 25.7.1994 के एक अन्य आदेश द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि नियुक्तियों में से दो ने अपने मूल पद पर बने रहने का विकल्प चुना था और यह कि 25.4.1992 को नियुक्त शेष 25 उम्मीदवारों को 1.4.1985 से प्रभावी आशुलिपिक के पद पर नियमित रूप

से नियुक्त माना जाएगा और वे 1.4.1985 से कार्यभार संभालने की तारीख तक वेतन के काल्पनिक निर्धारण के हकदार होंगे। यह भी प्रावधान किया गया था कि उक्त 25 कर्मचारियों की वरिष्ठता नियमों के नियम 29 के अनुसार निर्धारित की जाएगी और उन्हें 1980 में आरपीएससी द्वारा चुने गए व्यक्तियों से नीचे और वर्ष 1985 में आरपीएससी द्वारा चुने गए व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद 15.11.1995 को एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें 1.4.1985 से 22 पदोन्नत लोगों (सीए संख्या 4935/2006 में अपीलकर्ताओं सहित) को आशुलिपिक के पद पर स्थायी कर दिया गया।

8. दिनांक 15.11.1995 के आदेश ने निम्नलिखित दो रिट याचिकाओं को जन्म दियाः-

(i) सिविल रिट याचिका सं. 2930/1995 22 विशेष पदोंन्नतों द्वारा यह प्रार्थना करते हुए कि आशुलिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति वर्ष 1978-1979 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की संबंधित तिथियों से नियम 5 के परंतुक (5ए) (1.4.1985 के बजाय) के अनुसार रिक्त पदों के खिलाफ की जानी चाहिए और उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ ऐसी तारीखों से वरिष्ठता सौंपी जानी चाहिए;

(ii) सिविल रिट याचिका सं. 4663/1996 चार सीधे भर्ती आशुलिपिकों द्वारा (सीए नंबर 4936/2006 में अपीलकर्ता) दिनांक 23.1.1985 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए, संशोधन परंतुक (5ए),

और दिनांक 15.11.1995 का आदेश जिसके द्वारा 1.4.1985 से प्रभावी आशुलिपिक के पद पर 22 विशेष पदोन्नति को स्थायी बनाया गया था। उन्होंने आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची नए सिरे से तैयार करने की मांग की और उन्हें उन व्यक्तियों से ऊपर रखा जिनके नाम दिनांक 15.11.1995 की वरिष्ठता सूची में दिखाए गए थे।

9. दिनांक 21.10.2002 के आदेश द्वारा विशेष पदोन्नतियों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2930/1995 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया और सीधी भर्ती वालों के द्वारा दायर रित याचिका संख्या 4663/1996 को ख़ारिज किया। उन्होंने राज्य सरकार को सीडब्ल्यूपी संख्या 2116/1989 में दिनांक 7.8.1991 के आदेश को लागू करने और 1978 या 1979 में अस्थायी या तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए क्लर्कों को 1978 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से आशुलिपिक के रूप में पदोन्नत करने का निर्देश दिया और 1979 में रिक्त मूल पदों के विरुद्ध उन्हें 1978 और 1979 में प्रारंभिक नियुक्तियों की संबंधित तिथियों से आशुलिपिक के रूप में वरिष्ठता प्रदान की जाए।

10. सीडब्ल्यूपी संख्या 2930/1995 में दिनांक 21.10.2002 के उक्त आदेश को निम्नलिखित तीन विशेष अपीलों में चुनौती दी गई थीः- (i) सीएसए नं. 1038/2002 चार सीधी भर्ती आशुलिपिकों द्वारा; (ii) सीएसए नं. 79/2003 राजस्थान राज्य द्वारा; और (iii) सीएसए नं. 454/2003 अन्य सीधी भर्तियों (गोविंद राम ऐलानी और अन्य) द्वारा। चार सीधी

भर्तियों (सीए नंबर 4936/2006 में अपीलकर्ता) ने भी डब्ल्यूपी नंबर 4663/1996 की बर्खास्तगी के खिलाफ सीएसए नं. 1039/2002 दायर की। इन चारों अपीलों का निपटारा राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 19.1.2005 के विवादित सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था। खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि 1.4.1985 अर्थात् वर्ष 1992 के पश्चात् आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किए गए विशेष पदोन्नत व्यक्ति 1978 और 1979 से वरिष्ठता के हकदार नहीं थे क्योंकि 1981 में प्रत्यक्ष भर्ती के पश्चात् कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं। इसलिए खण्ड पीठ ने राज्य सरकार को निम्नानुसार निर्देश दियाः (ए) उनकी नियुक्ति की संबंधित तिथियों से सीधी भर्तियों को वरिष्ठता प्रदान करना; (बी) 1.4.1985 से पहले वरिष्ठता, परंतुक (5ए) के तहत वर्ष 1992 में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त विशेष पदोन्नतियों को नियुक्त नहीं करना; और (सी) यदि किसी सीधे भर्ती आशुलिपिक का चयन किया गया था और 1.4.1985 के बाद नियुक्त किया गया था, तो 1.4.1985 से परंतुक (5ए) के तहत नियुक्त विशेष पदोन्नतियों से जूनियर होगा।

11. खण्ड पीठ दिनांक 19.1.2005 के उक्त आदेश को इन अपीलों में चुनौती दी गई है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

11.1) सिविल अपील सं. 4935/2006 इस निष्कर्ष से व्यथित विशेष पदोंन्नतों द्वारा पेश की गई है कि जिन आशुलिपिकों को 1992 में परन्तुक (5क) के अधीन चुना और नियुक्त किया है, उन्हें 1.4.1985 से पूर्व नियुक्त

नहीं माना जा सकता है और वे 1.4.1985 के पश्चात् चयनित और नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों से ही वरिष्ठ होंगे। विशेष पदोंन्नतों ने कहा कि किया कि वे अपनी तदर्थ सेवा के आधार तदर्थ किसी भी मौद्रिक लाभ का दावा नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल यह दावा कर रहे थे कि वे नियम 5 के परंतुक (5ए) को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रारंभिक तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति की तारीख से नियमित आधार तदर्थ नियुक्त होने के हकदार थे, क्योंकि उक्त परंतुक का उद्देश्य उन सभी एलडीसी/यूडीसी को आमेलित करना था, जिन्हें तदर्थ आधार पर आशुलिपिक के रूप में मूल रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किये जाने की तिथि से नियमित आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया।

11.2) सिविल अपील संख्या 4936/2006 चार सीधी भर्ती वालों द्वारा दायर की गई है, जिन्हें 1981, 1985 और 1989 में चुना गया था। वे खण्ड पीठ के निर्णय से इस व्यथित हैं कि विशेष पदोन्नत व्यक्ति 1.4.1985 से वरिष्ठता के हकदार हैं। उनका तर्क है कि नियम 5 के परंतुक (5ए) के शब्द पूर्वव्यापी नियुक्तियों को अधिकृत या सक्षम नहीं करते हैं; उन्होंने तर्क दिया कि परंतुक (5ए) ने पूर्वव्यापी नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं किया है; उक्त परंतुक ने केवल नियुक्ति प्राधिकरण को मौजूदा खाली पदों पर तदर्थ संभावित रूप से नियुक्त करने में सक्षम बनाया, ऐसे व्यक्ति को जो अस्थायी या तदर्थ आधार तदर्थ आशुलिपिक के रूप में काम कर रहे थे और जिनकी सेवाएं संतोषजनक थीं और जिनके पास निर्धारित

योग्यताएं थीं; और क्योंकि नियुक्तियां 25.4.1992 को की गई थीं इसलिए यह केवल 25.4.1992 से प्रभावी हो सकता है और किसी भी पूर्व तिथि से नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उन सभी को 1992 से पहले (अर्थात 1981,1985 और 1989 के वर्षों में) सीधी भर्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें 25.4.1992 को नियुक्त किए गए 22 विशेष पदोंन्नतों से वरिष्ठ माला जाये।

12. इसलिए, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वे हैंः

(i) क्या विशेष पदोंन्नत जिन्हें दिनांक 7.8.1991 के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में नियम 5 के परंतुक (5क) के अधीन 24.5.1992 को नियुक्त किया गया था, उन्हें 1978 और 1979 के वर्षों से पूर्वव्यापी प्रभाव से नियुक्त किया जाना चाहिए था, जब उन्हें विशेष वेतन (जैसा पदोंन्नतों द्वारा दावा किया गया है) के साथ तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था?

या

(ii) क्या परन्तुक (5क) के अधीन विशेष पदोंन्नतों की नियुक्ति केवल उनकी नियुक्ति की तारीख (25.4.1992) से प्रत्याशित हो सकती है और न कि किसी पूर्वव्यापी तिथि से (जैसा किसीधी भर्ती वालों द्वारा तर्क दिया गया है)?

या

(iii) क्या दिनांक 15.11.1995 का आदेश 1.4.1985 से प्रभावी आशुलिपिक के पद पर 25.4.1992 को स्थायी आशुलिपिक के रूप में नियुक्त एलडीसी/यूडीसी को वैध बनाता है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है?

13. आदेश दिनांक 7.8.1991 को सीडब्ल्यूपी सं. 2116/1989 ने अंतिमता प्राप्त की क्योंकि इस न्यायालय द्वारा 9.12.1991 को इस चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7.8.1991 के आदेश में विनिश्चय किया गया मुद्दा यह था कि परन्तुक (5क) में दिनांक 19.9.1987 का संशोधन, जिसमें "और निरंतर 23.1.1985 को पद धारण करना" शब्द जोड़े गए थे, अमान्य था और फलस्वरूप उक्त परिवर्धन अपास्त कर दिया गया था। इसलिए हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि परंतुक (5क) को 1987 के संशोधन के बिना पढ़ा जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैः

> "(5क) कि इन नियमों की कोई बात नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक के पदों पर उन व्यक्तियों में से रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए पर्याप्त नियुक्ति करने से नहीं रोकेगी जो 5.5.1970 या 15.9.1972 को राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या अस्थायी क्षमता में आशुलिपिक या आशुलिपिक का पद धारण कर रहे थे और जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक पाया गया है और

जिनके पास ऐसी तिथि पर निम्नलिखित में से कोई भी योग्यता और अनुभव था ....."

परंतुक (5A) एक स्पष्ट संकेत देता है कि इसे केवल अस्थायी या तदर्थ आशुलिपिकों के संबंध में में लागू किया जा सकता है जो उक्त प्रावधान के तहत विचार की तिथि पर इस आवश्यकता के अतिरिक्त काम कर रहे थे कि उन्हें 23.5.1979 को या उससे पहले ऐसे अस्थायी या तदर्थ पद पर होना चाहिए था। ऐसा इसलिए है क्योंकि परंतुक (5ए) 'जिसका कार्य संतोषजनक पाया जाये' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है न कि 'जिसका कार्य संतोषजनक पाया गया था'। चूंकि उच्च न्यायालय के दिनांक 7.8.1991 के आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी, हम दिनांक 25.4.1992 के आदेश के अधीन विशेष पदोंन्नतों की नियुक्ति की वैधता को बाधित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, भले ही उनकी पात्रता संदिग्ध थी क्योंकि उन्होंने 1981-82 से ऐसी अस्थायी या तदर्थ स्थिति धारण करना बंद कर दिया था। चाहे जैसा भी हो।

14. उच्च न्यायालय के दिनांक 7.8.1991 के आदेश को राज्य सरकार द्वारा आशुलिपिक के रूप में मौलिक नियुक्ति के लिए विशेष पदोन्नतियों पर विचार करने के निर्देश के रूप में माना गया था, यदि वे 23.5.1979 को या उससे पहले सेवा में थे और उनका कार्य संतोषजनक था और उनके पास उस परंतुक में निर्धारित योग्यताएं थीं।

15. विशेष पदोन्नत व्यक्ति जो पहले एलडीसी और यूडीसी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें 30/- रुपये का विशेष वेतन देकर वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक नियमित भर्ती के लिए लंबित आशुलिपिकों के स्वीकृत रिक्त पदों पर तदर्थ आधार पर काम सौंपा गया था। वर्ष 1978 और 1979 में जब उनसे रु. 30/- के विशेष वेतन के साथ तदर्थ आधार पर आशुलिपिक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई थी, तो नियम 5 का परंतुक (5 क) उनके लिए लागू नहीं था, क्योंकि उस समय, परंतुक (5 क) के तहत नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति करने का अधिकार दिया था, केवल उन लोगों में से जो 31.7.1977 को या उससे पहले राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या तदर्थ क्षमता में आशुलिपिक के पद पर थे। चूंकि 22 विशेष पदोंन्नतों में से कोई भी 31.7.1977 को तदर्थ आशुलिपिक के पद पर धारित नहीं था और सभी को केवल 17.3.1978 और 5.5.1979 के बीच तदर्थ आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए परंतुक (5 ए) के तहत विचार नहीं किया जा सकता था। चूंकि उन्हें वर्ष 1978 और 1979 से विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर आशुलिपिक के रूप में नियमित भर्ती लंबित होने तक काम करने की आवश्यकता थी, और नियमित भर्ती वास्तव में लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29.2.1980 के विज्ञापन के अनुसरण में की गई थी, और उन सभी को वर्ष 1981-82 में तदर्थ आशुलिपिकों के पद से पदावनत करके एलडीसी और यूडीसी के रूप में उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया गया था। जैसा ज्ञात हुआ है की ये

22 विशेष पदोंन्नत, जो 1980 में तदर्थ आशुलिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे, ने दिनांक 29.2.1980 के विज्ञापन के विरुद्ध प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवेदन किया, लेकिन उनमें से कोई भी परीक्षा में सफल नहीं हुआ और परिणामस्वरूप आरपीएससी द्वारा भरी गई सीधी भर्ती रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि तदर्थ आशुलिपिक के रूप में कार्यरत उक्त 22 एलडीसी/यूडीसी में से किसी ने भी, जिन्हें 1981-82 में एलडीसी/यूडीसी के रूप में वापस वापस भेज दिया गया था, अपने प्रत्यावर्तन को चुनौती नहीं दी। और उनके प्रत्यावर्तन ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया।

16. केवल तभी जब 23.1.1985 को नियम 5 के परन्तुक (5क) में 31.7.1977 के स्थान पर कट ऑफ तिथि को 23.5.1979 के रूप में परिवर्तित करके और संशोधन किया गया था, विशेष पदोंन्नत परन्तुक (5क) के अधीन आशुलिपिक के पद पर सारवान नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हो गए। परन्तु परन्तुक (5क) ने उन लोगों में, जो 23.5.1979 को या उससे पूर्व तदर्थ/अस्थायी आशुलिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे, विचार और नियुक्ति का अधिकार सृजित नहीं किया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा 50% और एलडीसी और यूडीसी के बीच पदोन्नति द्वारा 50% थी। परंतुक (5ए) केवल नियुक्ति प्राधिकारी को सक्षम बनाता है, यदि वह चाहता है या उसे आशुलिपिक के रूप में वास्तविक नियुक्ति करना आवश्यक लगता है,

तो कोई भी व्यक्ति जो 23.5.1979 को या उससे पहले राजस्थान सचिवालय में अस्थायी/अस्थायी आशुलिपिक के रूप में काम कर रहा है, बशर्ते कि इसकी तीन शर्तें पूर्ति हो; (i) कि आशुलिपिक के पद में रिक्तियां थीं; (ii) कि नियुक्ति प्राधिकरण ने पाया कि ऐसे अस्थायी या तदर्थ आशुलिपिक का कार्य संतोषजनक था; और (iii) कि तदर्थ/अस्थायी आशुलिपिक के पास उस तारीख को आवश्यक योग्यताएं थीं जब उन्हें ऐसी मूल नियुक्ति तदर्थ विचार किया गया था। परंतुक (5 ए) इन शब्दों के साथ शुरू होता है कि "इन नियमों में कुछ भी आशुलिपिक के पद पर पर्याप्त नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को नहीं रोकेगा"। इससे पता चलता है कि परन्तुक (5 क) विशुद्ध रूप से एक सक्षमकारी उपबंध है जो नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति की सारवान नियुक्ति करके आशुलिपिक के किसी रिक्त पद को भरने का विकल्प या स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसने 23.5.1979 को या उससे पूर्व तदर्थ/अस्थायी आशुलिपिक के रूप में कार्य किया था और जिसके पास सारवान नियुक्ति के समय विहित योग्यता थी।

17. जब उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने दिनांक 7.8.1991 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि 18.9.1987 को परंतुक (5 क) में संशोधन अमान्य था, तो इसका तात्पर्य केवल यह था कि नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त परंतुक के संदर्भ में विकल्प या स्वतंत्रता उपलब्ध हो गई क्योंकि यह संशोधन दिनांक 18.9.1987 से पहले था और उक्त संशोधन द्वारा यह आवश्यकता जोड़ी गई कि तदर्थ/अस्थायी आशुलिपिक भी निरंतर

होना चाहिए। 23.1.1985 तक कार्यरत को हटा दिया गया। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 7.8.1991 द्वारा किसी भी तरह की कल्पना का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि नियुक्ति प्राधिकारी को उन सभी एलडीसी और यूडीसी पर विचार करने के लिए बाध्य किया गया है, जो 23.5.1979 को या उससे पहले तदर्थ/अस्थायी आशुलिपिक के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें नियमित आधार पर आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया जा रहा था, भले ही वे 1981-82 में ऐसे पद तदर्थ नहीं रहे हों। एलडीसी और यूडीसी के बीच से पदोन्नति के माध्यम से नियमित नियुक्तियां परन्तुक (5) के अनुसार सामान्य पाठ्यक्रम में की जानी थीं, न कि परन्तुक (5ए) के तहत। परंतुक (5ए) ने नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक के पद में किसी भी रिक्ति को विशेष मामलों के रूप में पर्याप्त नियुक्ति करके या अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने या तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प दिया। इसका स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि परन्तुक (5क) के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल वर्तमान आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के संदर्भ में किया जा सकता है जब परन्तुक (5क) के अधीन विचार किया जाता है न कि किसी पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ।

18. इसलिए, परंतुक (5ए) के तहत कोई भी नियुक्ति केवल भावी प्रभाव से वर्तमान नियुक्ति के माध्यम से हो सकती है। दिनांक 7.8.1991 के आदेश को अन्यथा निर्देश देने के रूप में नहीं लिया जा सकता। आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह मानकर गलत

कार्यवाही की कि परन्तुक (5क) के अधीन 22 एलडीसी/यूडीसी की पूर्वव्यापी नियुक्ति वैध थी, यदि वह 1.4.1985 से प्रभावी थी। परंतुक (5क) के शब्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर हमारा यह मत है की इसके तहत पूर्वव्यापी नियुक्ति पर विचार या प्रावधान या अधिकृत नहीं करता है। इसलिए, हम प्रत्यक्ष भर्तियों के तर्क को स्वीकार करते हैं, विशेष पदोन्नतियों के तर्क को अप्रतिग्रहण करते हैं और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय को अपास्त करते हैं क्योंकि यह मानता है कि पूर्वव्यापी नियुक्ति 1.4.1985 से प्रभावी हो सकती है।

19. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम विशेष पदोंन्नतों द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 4935 ऑफ़ 2006 को खारिज करते हैं और सिविल अपील संख्या 4936 ऑफ़ 2006 को स्वीकार करते है और घोषणा करते हैं कि 25.4.1992 को आशुलिपिक के रूप में विशेष पदोंन्नतों की नियुक्ति उस तारीख से संभावित थी और किसी पूर्व तिथि (या तो 1978-79 में या 1.4.1985 से) से प्रभावी नहीं थी। हम राज्य सरकार को तदनुसार संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश देते हैं।

Re: सिविल अपील सं. 4937 और 4938 ऑफ़ 2006

20. सिविल अपील संख्या 4937 ऑफ़ 2006 में अपीलकर्ता को प्रारंभ में एलडीसी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 23.11.1972 के आदेश द्वारा उन्हें शिक्षा विभाग में तदर्थ आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें दिनांक 7.3.1977 के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से

सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था, मूल विभाग में उनके पद पर उनका ग्रहणाधिकार जारी रखा गया था, और वह 23.3.1977 को सचिवालय में शामिल हुए। आशुलिपिक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति 15.3.1978 से प्रभावित उनके पैत्रक (शिक्षा) विभाग ने 3.7.1979 को की गई थी। परंतुक (5क) के अधीन दिनांक 19.10.1981 के आदेश द्वारा सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति 23.5.1979 से प्रभावी कर दी गई थी।

21. सिविल अपील संख्या 4938 ऑफ़ 2006 में अपीलार्थियों को शुरू में एलडीसी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 4.4.1977, 4.4.1977 और 11.4.1977 को तदर्थ आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 7.7.1978 के आदेश द्वारा विशेष वेतन दिया गया था। उन्हें परन्तुक (5क) के अधीन दिनांक 16.11.1981 के आदेश द्वारा आशुलिपिक के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था।

22. एक कृपा शंकर शर्मा ने, जिसे सीधे तौर पर 7.2.1981 को सचिवालय में आशुलिपिक के रूप में भर्ती किया गया था और जिसकी 25.8.1983 से प्रभावी होने की पुष्टि हुई थी, एक रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 1433 ऑफ़ 1983) निम्नलिखित राहतों के लिए दायर कीः

(क) दिनांक 23.5.1979 की अधिसूचना, जिसमें 5.5.1970 या 15.9.1972 की तारीखों के स्थान पर दिनांक 31.7.1977 को प्रतिस्थापित

करके परन्तुक (5क) में संशोधन किया गया था और पश्चातवर्ती अधिसूचना दिनांक 9.6.1983, जिसके द्वारा परन्तुक (5क) में दिनांक 31.7.1977 को 14.3.1978 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, अमान्य थी।

(ख) यह घोषणा करने के लिए कि दिनांक 16.11.1981 का आदेश जिसके द्वारा राज्य सरकार ने छह व्यक्तियों (CA संख्या 4938/2006 में अपीलार्थी संख्या 1 से 3 सहित) नियमित आधार आशुलिपिक के रूप में उस तारीख से जब वे शुरू में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक के रूप में कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, नियुक्त किया है और बाद में कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.12.1981 उन्हें 23.5.1979 से आशुलिपिक के पद पर स्थायी करने का प्रस्ताव तथा प्रभावित व्यक्तियों से उक्त प्रस्ताव पर आपत्तियाँ आमंत्रित करना अमान्य था।

(ग) इस घोषणा के लिए कि परंतुक (5क) के अधीन तदर्थ/अस्थायी आशुलिपिकों की मूल नियुक्ति बातिल और शून्य थी और इसके परिणामस्वरूप उन्हें व्यक्तिगत सहायक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

उसने तर्क दिया कि वह सिविल अपील संख्या 4938 ऑफ़ 2006 में अपीलार्थियों से वरिष्ठ था क्योंकि परंतुक (5क) के अधीन आशुलिपिक के रूप में उनकी नियुक्तियां दिनांक 16.11.1981 के आदेश द्वारा की गई थीं, जबकि उसे सीधे 7.2.1981 को आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया

था। उक्त रिट याचिका को दिनांक 30.11.1999 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया था। एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय के विरुद्ध उक्त कृपा शंकर शर्मा द्वारा दायर विशेष अपील को दिनांक 19.1.2005 के आदेश के संदर्भ में दिनांक 17.5.2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा खण्ड पीठ द्वारा अनुज्ञात किया गया था, जिसे सिविल अपील संख्या 4937 और 4938 ऑफ़ 2006 में परन्तुक (5क) के अधीन नियुक्त आशुलिपिकों द्वारा चुनौती दी गई है।

23. सिविल अपील संख्या 4938/2006 में अपीलार्थियो ने कहा कि उनके मामले CA Nos.4935 और 4936/2006 में विचार किए गए विशेष पदोन्नति के मामलों से अलग थे। यह इंगित किया गया है कि 1978-79 में विशेष पदोंन्नतों की तदर्थ नियुक्ति 1981-82 में समाप्त हो गई थी जब उन्हें एलडीसी/यूडीसी के रूप में वापस कर दिया गया था और जब उनकी नियुक्ति हुई वे आशुलिपिक के रूप में काम नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर, सीए संख्या 4938/2006 में अपीलार्थीगण 23.5.1979 को और 16.11.1981 को जब परंतुक (5क) के अधीन आदेश किया गया था, दोनों तदर्थ आशुलिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे। सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि उक्त भेद की उस मुद्दे से कोई प्रासंगिकता नहीं है जो यह है कि क्या परंतुक (5क) के तहत नियुक्ति पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ हो सकती है। जैसा कि वर्णित तथ्यों से देखा गया है, सिविल अपील संख्या 4935 और 4936 ऑफ़ 2006 में हमारा निर्णय कि परंतुक (5क) के

अधीन नियुक्ति पूर्वव्यापी नहीं हो सकती, वह सिविल अपील संख्या 4938 ऑफ़ 2006 में लागू होगा।

24. सिविल अपील संख्या 4937 ऑफ़ 2006 में अपीलकर्ता की स्थिति यधपि भिन्न है। आशुलिपिक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति 15.3.1978 से उनके मूल विभाग में की गई थी। दिनांक 19.10.1981 के आदेश द्वारा उनकी नियुक्ति सचिवालय में 23.5.1979 से प्रभावी कर दी गई थी, उस तारीख तक वे अपने मूल विभाग में मूल आधार पर आशुलिपिक थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सचिवालय में मूल आधार पर आशुलिपिक के रूप में नियुक्त करने संबंधी परन्तुक (5क) के अधीन दिनांक 19.10.1981 के आदेश को कृपा शंकर शर्मा ने अपनी रिट याचिका (1983 का डब्ल्यूपी नं. 1433) में चुनौती नहीं दी थी। उन्होंने सीए नंबर 4938 ऑफ़ 2006 में अपीलकर्ताओं से संबंधित प्रावधान (5ए) के तहत केवल 16.11.1981 के आदेश को चुनौती दी। यद्यपि कृपा शंकर शर्मा ने सिविल अपील सं. 4937 ऑफ़ 2006 में अपीलकर्ता को अपनी रिट याचिका में छठे प्रत्यर्थी के रूप में आरोपित किया था क्योंकि कृपा शंकर शर्मा अपने मामले में बनाए गए परन्तुक (5क) के अधीन दिनांक 19.10.1981 के आदेश को चुनौती देने में असफल रहे थे, तथापि सिविल अपील सं. 4937 ऑफ़ 2006 में अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती थी।

25. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सिविल अपील संख्या 4935 और 4936 ऑफ़ 2006 में विनिश्चय के पश्चात् हम सिविल अपील संख्या 4938 ऑफ़ 2006 को खारिज करते हैं। तथापि, सिविल अपील संख्या 4937 ऑफ़ 2006 स्वीकार की जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आदेशों को अपास्त किया जाता है और रिट याचिका संख्या 1433 ऑफ़ 1983, जहां तक सिविल अपील संख्या 4937 ऑफ़ 2006 (हरिहरन नायर) में अपीलकर्ता है, खारिज की जाती है।

न्यायाधिपति (आर वी रवींद्रन)

न्यायाधिपति (मुकुंदकम शर्मा)

नई दिल्ली;

1 दिसंबर, 2010

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।